न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 27/2018

तारीख दायरा–13.12.2018
तारीख निर्णय–17.06.2019

1. श्री बाबुलाल पिता श्री वजेराम ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
2. श्री देवीलाल पिता वजेराम ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।

........प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री गणेशलाल पिता रूपा ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
2. श्री देवीलाल पिता रूपा ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
3. श्री खुमाणीलाल पिता रूपा ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
4. श्री मोहनलाल पिता रूपा ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
5. श्री लहरीलाल पिता रूपा ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
6. श्रीमती मोहनीबाई बेवा रूपा ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
7. श्री इन्दरलाल पिता चम्पा ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
8. श्रीमती चुनीबाई बेवा रूपा ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
9. श्रीमती धापुबाई बेवा देवीलाल ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
10. श्री पनालाल पिता श्री वरदा ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
11. श्री भंवरलाल पिता कनीराम ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
12. श्री पूर्णाशंकर पिता कनीराम ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
13. सुश्री नर्बदा पिता कनीराम ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
14. सुश्री रेखा पिता श्री कनीराम ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
15. श्रीमती लक्ष्मीबाई बेवा श्री कनीराम ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
16. श्री गोपाल पिता श्री काशीराम ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
17. श्री राधेश्याम पिता काशीराम ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
18. सुश्री कमला बाई पिता काशीराम ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
19. सुश्री ताराबाई पिता काशीराम ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
20. श्रीमती वालीबाई पिता श्री काशीराम ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
21. श्री चुन्नीलाल पिता श्री वजेराम ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
22. श्री भूरीलाल पिता रूपा ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
23. श्री लक्ष्मीनारायण पिता रूपा ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
24. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

............अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट

उपस्थित– प्रार्थी की ओर से– श्री चेतन वैष्णव

अप्रार्थी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 7762 रकबा 0.1400 है0 भूमि ग्राम नान्देशमा तहसील गोगुन्दा में स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 7763 रकबा 0.0450, 7768 रकबा 0.0150, 7769 रकबा 0.0250, 8249 रकबा 0.0350, 7746 रकबा 0.0200 है0 भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन प्रार्थी को परेशान करते है तथा भूमि में ज़बरन प्रवेश कर दखलंदाजी करते है एवं घास लकडी इत्यादि ले जाते है। प्रार्थी व विपक्षीगण की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत् विवाद होता रहता है। विपक्षीगण आये दिन प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करते रहते है। इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नम्बर 7762 का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रंजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। विपक्षीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजरी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि के पास में विपक्षीगण की जमीन स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है, जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षीगण को भी पत्थरगढी करवाये जाने में कोई आपत्ति नही है। अतः प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. का स्वीकार किया जाता है एवं मौजा नान्देशमा पटवार क्षेत्र नान्देशमा तहसील गोगुन्दा में प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी संख्या आराजी संख्या 7762 रकबा 0.1400 हैक्टयर भूमि का दोनो पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/– रूपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/6/19

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Pandey
Date: 2019.07.11 15:49:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: